## 174 69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों का वेतन संशोधन–द्वीप विशेष भत्ते आदि की दरों का संशोधन

69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबंधित तारीख 2 फरवरी, 1999 के इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को नीचे उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों में यथा अन्तर्विष्ट निम्न हितलाभों को देने का सरकार ने फैसला किया है जो कि 5 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू किए गए थे।

1) वित्त मंत्रालय का तारीख 22.07.98 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11(2)/97–स्था.।।(बी) द्वारा यथा विस्तारित विशेष ड्यूटी भत्ते का हितलाभ। (प्रति संलग्न है)

2) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी तारीख 5.5.98 की कार्यालय ज्ञापन सं. 4/5/97–स्था(वेतन)–।। के अनुसार खंजाचियों को विशेष वेतन की मंजूरी (प्रति संलग्न)

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को जो सी डी ए पैटर्न अपनाए हुए हैं, को उपरोक्त तथ्य उनके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं।

**(लोक विद्यम विभाग का तारीख 13 अगस्त, 1999 का कार्यालय ज्ञापन सं.2(42)97 लो.उ.वि.(डब्ल्यू सी)जीXII)**

## 5 मई, 1999 का डी ओ पी टी का कार्यालय ज्ञापन सं. 4/5/97.स्था. (वेतन–II) की प्रति–5वें वेतन आयोग की सिफारिशें–खजांचियों को विशेष वेतन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि खंजाचियों को विशेष वेतन संबंधी 5 वीं केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशे जैसे कि रिपोर्ट के पैरा 55.43 से 55.50 में दीं गई है, पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा 29 सितम्बर, 1986 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/31/86–स्था.(वेतन–**II**) में आंशिक आशोधन करते हुए राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए प्रसन्नता है कि विशेष वेतन के रूप में खंजाचियों को मंजूर की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का नामकरण इसके बाद से कैश हैंडलिंग एलाउंस होगा तथा एलाउंस की पुनरीक्षित स्लैब तथा दरें तारीख 1.8. 1997 से निम्नानुसार होगी:–

| मासिक रूप में औसत संवितरित | कैश हैंडलिंग एलाउंस की दरें |
|---|---|
| 50000 रू. प्रति माह तक | 75/– प्रतिमाह |

| | |
|---|---|
| 50000 रू. से अधिक तथा 200000रू. तक | 150/– प्रतिमाह |
| 2,00000 रू. से अधिक 5,00000रू. तक | 200/– प्रतिमाह |
| 5,00000 रू. से अधिक तथा 9,00000रू. तक | 250/– प्रतिमाह |
| 10,00000 रू. से अधिक | 300/–प्रतिमाह |

2. कैश हैंडिलिंग एलाउंस यू डी सी–कम–क्लर्क को स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि कैश हैंडलिंग उनके पद की ड्यूटी का अभिन्न अंग है।

इस विभाग के तारीख 29 सितम्बर, 1986 के कार्यालय ज्ञापन के अन्य प्रावधान लागू रहेंगे।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का सवाल है, ये आदेश भारत के नियंत्रक व महापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

**जी आई एम एफ कार्यालय ज्ञापन सं. 11(2)97–ई–II(बी) तारीख 22.7.1998 की प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, सिक्किम तक फैले एवं विस्तारित द्वीप समूहों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 1.8.1997 से भत्ते एवं सुविधा विशेष (ड्यूटी) भत्ते की अधिकतम राशि पर सीमा एवं समस्त भत्तों की अधिकतम सीमा को हटाया जाना–आपात यात्रा रियायत की शुरूआत।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा राज्य क्षेत्र शामिल हैं, में नौकरी के लिए सक्षम अधिकारियों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के विचार से, इस क्षेत्र में कार्य कने वाले सिविलियन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ भत्ते तथा सुविधाएं देने के लिए आदेश इस मंत्रालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/3/83 ई–IV/द्वारा जारी किए गए थे। उसके पैरा 2 के अनुसार पैरा 1(iv) में वहीं पर समाविष्ट आदेशों को छोड़कर ये आदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नियुक्त सिविलियन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होने थे। ये आदेश आगे इस मंत्रालयों के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन तारीख 30 मार्च, 1984 के द्वारा लक्षद्वीप में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू किए गए थे। इस मंत्रालय के तारीख 1 दिसम्बर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/16/86–ई–IV/ई–II/(बी) में उन भत्तों व सुविधाओं को आगे और उदार

बना दिया गया था तथा इन्हें उत्तर पूर्व परिषद, जब उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह स्थित था, में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया था।

2. पाचवें वित्त आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों एवं सुविधाओं में आगे सुधार लाने का सुझाव देते हुए कुछ सिफारिशें की थी। उन्होंने आगे यह भी सिफारिश की थी कि इन्हें सिक्किम में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी विस्तारित किया जाए।

सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया तथा अब राष्ट्रपति को निम्नानुसार निर्णय लेने हैं–

(i) तैनाती/प्रतिनियुक्ति की अवधि–इस मंत्रालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/3/83–ई.IV में समाविष्ट तैनाती/प्रतिनियुक्ति की अवधि के संबंध में निश्चित प्रावधान जिसे 1 दिसम्बर, 1988 से कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/16/86–ई IV/ई–II (बी) के साथ पढ़ा जाए, आगे लागू रहेंगे।

(ii) विदेश में केन्द्रीय प्रतिनियुक्तियों/ प्रशिक्षण का महत्वहूर्ण गोपनीय रिकॉर्ड में विशिष्ट उल्लेख–इस कार्यालय के तारीख 1 दिसम्बर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन 20014/16/86–ई– IV/ई.II(बी) में समाविष्ट प्रावधान लागू रहेंगे।

(iii) **विशेष (ड्यूटी) भत्ता–**

केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को जो अखिल भारतीय स्थानांतरण के लिए पात्र हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में तैनात हैं, इस मंत्रालय के तारीख 1 दिसम्बर, 1988 के का.ज्ञा. सं.– 20014/16/86–ई.IV/ई–II(बी) में विहित उनके मूलवेतन के 12.5% की दर से विशेष (ड्यूटी) भत्ते की मंजूरी की जाएगी। किंतु इस रकम पर कोई सीमा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मौजूदा लागू 1000/– प्रतिमाह की सीमा अब लागू नहीं रहेगी तथा यह शर्त कि विशेष ड्यूटी भत्ता तथा विशेष वेतन प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते का कुल योग यदि कोई 1000/– प्रतिमाह से अधिक हो जाता है तो भी खत्म हो जाएगी। तथापि, इस भत्ते की मंजूरी नियंत्रित करने वाली अन्य शर्तें व अनुबंध लागू रहेंगे।

इस मंत्रालय के तारीख 24 मई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20022/2/88–ई–II(बी) में समाविष्ट आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी, ''जो भारत मे कहीं भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं तथा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में नौकरी के लिए

तैनात कर्मचारी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वीकार्य विशेष (ड्यूटी) भत्ते के एवज में समय विभिन्न भिन्न दरों पर द्वपी विशेष भत्ते को पाने के पात्र हैं। यह भत्ता विनिर्दिष्ट श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उसी दर पर स्वीकार्य रहेगा, जैसा कि तारीख 24 मई, 1989 के का.ज्ञा. में विभिन्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए बताया गया है, किन्तु इस राशि पर कोई सीमा नहीं है। इसके बाद इस भत्ते को द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ते का नाम दिया गया है। इस भत्ते के संबंध में पृथक आदेश इस मंत्रालय के तारीख 17 जुलाई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं.12(1)/98ई–II(बी) में जारी किए गए हैं।

इस संबंध में उस मंत्रालय के तारीख 12 जनवरी, 1996 के का.ज्ञा.सं.11(3)95ई–II(बी) में समाविष्ट स्पष्टीकरण आदेशों की ओर भी ध्यान आकर्षिक किया जाता है, जो कि न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में नौकरी पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू रहेंगे बल्कि ये अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(iv) **विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता–** विभिन्न विशेष क्षतिपूर्ति भत्तों की दरों के संशोधन के संबंध में जैसे सुदूर क्षेत्र भत्ता, खराब वातावरण भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, संयुक्त पहाड़ क्षतिपूर्ति भत्ता आदि जो अवस्थिति विशेष की वजह से है, आदेश या तो अलग से जारी किए गए हैं या इन भत्तों से संबंधित पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर जारी किए जाने हैं। यह आदेश पूर्वोचल क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप व लक्षद्वीप समूहों मे विशिष्ट क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकार के पात्र कर्मचारी पर लागू, होंगे, जो उनके तैनाती वाले क्षेत्र (क्षेत्रों) तथा उनमें विनिर्दिष्ट शर्तो व अनुबंधों के अनुपालन पर निर्भर करेगा। ऐसे कर्मचारी जो विशेष (ड्यूटी) भत्ता द्वीप (विशेष ड्यूटी) भत्ते के पात्र हैं, वे इसके अलावा उन पृथक आदेशों की शर्तानुसार/उन्हें यथा स्वीकार्य इस विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता (भत्ते) के भी हकदार होंगे। विशेष क्षतिपूर्ति भत्तों के पात्र केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जिन भत्तों के बार में अलग से आदेश अभी जारी किए जाने हैं ''कल्पित'' वेतन के संदर्भ में ऐसे भत्ते वर्तमान दरों पर तब तक प्राप्त करते रहेंगे, जो संशोधन पूर्व लागू वेतनमान में प्राप्त करते होते, जब तक पाचवें, वेतन आयोग की सिफारिशों व इसमें सरकार के निर्णयों के आधार पर संशोधित आदेश जारी करने के बाद, समतुल्य संशोधित वेतनमानों में लागू नहीं कर दिया जाता।

(v) **प्रथम नियुक्ति पर यात्रा भत्ता:** मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/3/83ई IV तारीख 14 दिसम्बर, 1983 तथा आगे उदार किए गए। तारीख 01 दिसम्बर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/16/86–ई–IV/ई–II(बी) में यथा उपबंधित मौजूदा रियायत आगे भी जारी रहेंगी।

(vi) **स्थानांतरण होने पर की जाने वाली यात्रा के लिए यात्रा भत्ता, स्थानांतरण होने पर घरेलू सामान के परिवहन के लिए सड़क मील भत्ता छुट्टी सहित पदभार ग्रहण अवधि–**

मंत्रालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. सं. 20014/3/83–ई IV में यथा समाविष्ट मौजूदा प्रावधान आगे लागू रहेंगे।

(vii) **छुट्टी यात्रा रियायत–**

मंत्रालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/3/(83) ई–IV में यथा समाविष्ट मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं जो अपना परिवार पुराने मुख्यालय या अन्य चयनित आवास स्थल पर छोड़ जाता है तथा जिसने परिवार के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं लिया है–

(क) सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी दो वर्षों की ब्लॉक अवधि में एक बार स्व गृह नगर की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत कर सकता है: या

(ख) उसके एवज में, सरकारी कर्मचारी स्वयं (स्त्री/पुरूष) के लिए वर्ष में एक बार तैनाती स्थल से स्वगृह नगर या इस स्थान पर जहां परिवार रह रहा है, की यात्रा सुविधा ले सकता है या परिवार (जिसमें पति/पत्नी तथा केवल दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, पुत्र के मामले में 18 वर्ष तथा पुत्री के मामले में 24 वर्ष तक, वर्ष में एक बार सरकारी कर्मचारी के तैनाती स्थल तक यह यात्रा सुविधा ले सकता है।

ये विशेष प्रावधान आगे भी लागू रहेंगे।

इसके अलावा, इन राज्य क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार पूरे सेवाकाल के दौरान, आकस्मिकता की स्थिति में दो अतिरिक्त मौकों पर छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे। यह इमर्जेंसी पैसेज कनसैशन कहलाएगा तथा यह रियायत आकस्मिकता की स्थति में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा या उनके परिवार (पति/पत्नी तथा दो आश्रित बच्चों) को या तो स्वगृह नगर या तैनाती स्थल पर जाने के लिए है। यह तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कर्मचारियों की सामान्य पात्रता के अलावा होगा तथा इमर्जंसी मैसेज कन्सेशन के तहत दो अतिरिक्त पैसेज सामान्य यात्रा भत्ता रियायत नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पात्र साधन व यात्रा श्रेणी से मिलेगा।

इस मंत्रालय के तारीख 1 दिसम्बर, 1988 के का.ज्ञा. सं. 20014/16/86ई IV/ई–II बी में यथा समाविष्ट आदेशों का आशोधन करते हुए 13500 रू. तथा उसके अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी तथा उनके परिवार अर्थात् पति/पत्नी तथा दो आश्रित बच्चे (18 वर्ष तक का पुत्र तथा 24 वर्ष तक की पुत्री) छुट्टी यात्रा रियायत पर उत्तर पूर्व क्षेत्र में अगरतला/आईजोल/इंफाल/लीलाबारी/सिल्चर तथा कोलाकाता तक जाने तथा वहां से आने

अंडमान व निकोबार द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर तथा कोलकाता/मद्रास तक तथा वहां से आने एवं लक्षद्वीप समूहों में कावारती तथा कोचीन तक तथा वहां से आने के लिए हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं।

(viii) **बच्चों का पढ़ाई भत्ता तथा छात्रावास सब्सिडी–**

मंत्रालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1987 के का.ज्ञा.सं. 20014/3/83ई IV में यथा समाविष्ट मौजूदा प्रावधान आगे भी लागू रहेंगे। संतान शिक्षण भत्ता तथा छात्रावास सब्सिडी की दरें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 12 जून, 1998 (अगस्त, 1998 के स्वामी न्यूज के क्र.सं.164 के अनुसार) के का.ज्ञा.सं.20014/3/83–ई– IV (भत्ते) में संशोधित कर दी गई हैं, तथा ये भत्ते व सब्सिडी प्रति बच्चे क्रमशः 100 रू. व 300 रू. की संशोधित प्रतिमाह दरों पर भुगतान किए जाएंगे।

(ix) **अंतिम तैनाती स्थल पर सरकारी आवास रखना:**

विशिष्ट राज्य क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अंतिम तैनाती स्थल पर सरकारी आवास को रखने की सुविधा तथा जिनके परिवार उस स्थान पर आगे रहना चाहते हैं, निवर्तमान निर्माण व आवास मंत्रालय के तारीख 12 फरवरी, 1984 के का.ज्ञा.स. 12035/23/77खंड–IV में यथा सामविष्ट आदेशों, समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार यह सुविधा मिलती रहेगी।यह सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूहों में तैनात पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती रहेगी। इन आदेशों में आंशिक संशोधन करने के बाद इस तरह प्रतिधारित आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क, उन मामलों में जहां आवास कर्मचारी की पात्रता से भिन्न है, लागू सामान्य दरों से तथा जहां आवास पात्र श्रेणी का प्रतिधारित किया हुआ है, के मामले में लागू सामान्य दरों के 1/1/2 गुणा की दर से वसूल या जाएगा। पिछले तैनाती स्थल पर सरकारी आवास को प्रतिधारित करने की सुविधा नियमों में विहित सरकारी आवास के प्रतिधारण की सामान्य अनुमत्य अवधि से अधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार्य होगा।

(x) **किराए पर लिए गए निजी आवासों हेतु कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता–**

इस मंत्रालय के तारीख 29 मार्च, 1984 के कार्यालय ज्ञापन सं.11016/1/3/ई–II(बी)/84 में यथा समाविष्ट आदेश तथा इस मंत्रालय के तारीख 1 दिसम्बर, 1988 के का.ज्ञा. सं. 20014/16/86–ई– IV /ई–II(बी) द्वारा विस्तारित आदेश आगे लागू रहेंगे।

(xi) **अंतिम तैनाती स्थल पर टेलीफोन सुविधा बनाए रखना:**

इस मंत्रालय के तारीख एक दिसम्बर, 1988 के का.ज्ञा.सं.20014/16/86–ई–IV/ई–II(बी) में किए गए प्रावधानुसार आवासीय टेलीफोन के लिए पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपने अंतिम तैनाती स्थल पर आवासीय टेलीफोन रख सकते हैं, बशर्ते कि उसके किराए तथा अन्य प्रभार का संबंधित कर्मचारियों द्वारा खुद ही भुगतान किया जाए।

(xii) **चिकित्सा सुविधाएं–**

विशिष्ट राज्य क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों की पूर्व तैनाती स्थल पर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के परिवार तथा पात्र आश्रित व्यक्ति उन स्थानों पर जहां सीजीएचएस सुविधाएं उपलब्ध हैं, की सुविधा प्राप्त करने के पात्र रहेंगे, इस संबंध में विस्तृत आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. राष्ट्रपति यह भी निर्णय लेते हैं कि ये आदेश जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित सिक्किम में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों समेत सिविल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

4. ये आदेश एक अगस्त, 1997 से प्रभावी होंगे।

5. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध में है, ये आदेश भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के परामर्श प्राप्त करने के बाद जारी किए जाएंगे।

**(लोक विद्यम विभाग का तारीख 13 अगस्त, 1999 का कार्यालय ज्ञापन सं.2(42)97 लो.उ.वि.(डब्ल्यू सी)जी XII)**